

भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
तारांकित प्रश्न 39

मंगलवार, 22 जुलाई, 2025/31 आषाढ़, 1947 (शक) को उत्तरार्थ

पीएसीएस को बहु-कार्यात्मक सेवा केंद्रों में बदलना

*39. श्री प्रवीन खंडेलवाल:

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने पीएसीएस कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) को प्रमुख सरकारी योजनाओं के साथ एकीकृत करके बहु-कार्यात्मक सेवा केंद्रों में बदलने के लिए कदम उठाए हैं, यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार का कृषि ऋण के अलावा, खरीद, कृषि आदान आपूर्ति, भंडारण, बीमा सुविधा और ग्राम स्तर पर अन्य आर्थिक कार्यकलाप शामिल करने हेतु पीएसीएस की भूमिका का विस्तार करने का विचार है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है;
- (ग) क्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और सटीक कृषि उपकरणों जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों को राष्ट्रीय स्तर की प्रायोगिक परियोजनाओं के माध्यम से पीएसीएस के संचालन में शामिल किया जा रहा है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है;
- (घ) क्या अत्यसेवित क्षेत्रों की पहचान करने और सहकारी समितियों के माध्यम से योजनाओं के क्रियान्वयन को लक्षित करने के लिए सहकारी समितियों का राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने में कोई प्रगति हुई है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है; और
- (ङ) क्या सरकार का अंतिम छोर तक सेवा प्रदान करने और ग्रामीण आर्थिक समावेशन के लिए पीएसीएस को 'वन स्टॉप शॉप' के रूप में विकसित करने के लिए दीर्घकालिक कार्यनीति तैयार करने का विचार है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

क से (ङ): संसद के पटल पर एक विवरणी रखी गई है।

पैक्स को बहु-कार्यात्मक सेवा हब में बदलने के संबंध में श्री प्रवीण खंडेलवाल द्वारा 22 जुलाई, 2025 को पूछे गए उत्तर के लिए लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 39 के संबंध में भाग (क) से भाग (ड) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क): सरकार सक्रिय रूप से पैक्स को एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ERP) टूल्स के साथ कंप्यूटरीकृत कर रही है और उन्हें बहु कार्यात्मक सेवा केंद्रों में बदल रही है। उन्हें 25 से अधिक सरकारी योजनाओं के साथ एकीकृत करके, पैक्स का डेयरी, मात्रिकी, भण्डागारण, रिटेल, वित्तीय और गैर वित्तीय सेवाओं में विस्तार करके, इन सुधारों का उद्देश्य पैक्स को "सहकार से समृद्धि" के तहत ग्रामीण सेवा वितरण का आधार बनाना है।

1. पैक्स कंप्यूटरीकरण योजना:

- **दिनांक 29 जून 2022** को, मंत्रिमंडल ने 2,516 करोड़ रुपये के कुल बजट के साथ पांच वर्षों (2022-23 से 2026-27) में लगभग 63,000 कार्यशील पैक्स को कम्प्यूटरीकृत करने के लिए एक केंद्रीय प्रायोजित योजना को अनुमोदित किया है, जिसमें भारत सरकार से 1,528 करोड़ रुपये, राज्यों से 736 करोड़ रुपये और नाबार्ड से 252 करोड़ रुपये शामिल हैं।
- नाबार्ड इस परियोजना की कार्यान्वयन एजेंसी है, जो एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ERP) आधारित कॉमन सॉफ्टवेयर के साथ अपेक्षित कंप्यूटर हार्डवेयर और सहायक उपकरण प्रदान करती है ताकि सभी पैक्स सभी क्रेडिट और गैर-क्रेडिट परिचालनों के रिकॉर्ड को डिजिटल और निर्बाध रूप से कुशल तथा पारदर्शी तरीके से कैच्चर कर सकें। इस परियोजना में साइबर सुरक्षा के साथ क्लाउड-आधारित कॉमन सॉफ्टवेयर का विकास, अपलोड करना और एक राष्ट्रीय स्तर के डेटा रिपॉर्टिंग (NLDR) का निर्माण, प्रशिक्षण और अन्य सहायता सेवाएं शामिल हैं। यह सॉफ्टवेयर स्थानीय भाषा में है जिसमें राज्यों की आवश्यकताओं और ज़रूरतों के अनुसार अनुकूलन की सुविधा है।
- **वास्तविक प्रगति :** परियोजना में शामिल करने के लिए 31 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 73,492 पैक्स को अनुमोदित किया गया है। अब इस प्रोजेक्ट की मूल लागत बढ़कर 2925.39 करोड़ रुपये हो गई है।
- **सरकारी योजनाओं के साथ एकीकरण :** इस पहल के अंतर्गत, पैक्स को पीएम किसान, PMFBY, ब्याज अनुदान, उर्वरक और बीज वितरण, पीडीएस आउटलेट्स, एलपीजी/पेट्रोल/डीजल डीलरशिप, कस्टम हायरिंग, जन औषधि केंद्र, कॉमन सेवा केंद्रों आदि जैसी योजनाओं का लाभ प्रदान करने के लिए हब के रूप में स्थापित किया जा रहा है।
- **बहुउद्देशीय पैक्स स्थापना**
 - मंत्रिमंडल ने दिनांक 15.02.2023 को डेयरी अवसंरचना विकास योजना (DIDF), प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY), राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (NPDD), राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDB) और राष्ट्रीय मात्रिकी विकास बोर्ड (NFDB) जैसी योजनाओं को समिलित करते हुए प्रत्येक अनाच्छादित पंचायत में **बहुउद्देशीय पैक्स/डेयरी/ मात्रिकी सहकारी समितियों** के गठन को मंजूरी दी।

- लक्ष्य और समयसीमा को परिभाषित करने के लिए दिनांक **19 सितंबर 2024** को एक मानक प्रचालन प्रक्रिया ("मार्गदर्शिका") जारी की गई थी।

2. आदर्श उपविधियों के अंतर्गत पैक्स का सशक्तीकरण

- कार्यकलापों का विविधीकरण:** नई आदर्श उपविधियाँ (जनवरी 2023 में परिचालित की गई थी) पैक्स को डेयरी, मास्तिकी, पुष्प कृषि, भांडागारण, पीडीएस, एलपीजी/सीएनजी वितरण, कस्टम हायरिंग, बीमा, बैंकिंग सेवाओं, सामुदायिक सिंचाई आदि सहित **25 से अधिक व्यावसायिक कार्यकलापों** को करने में सक्षम बनाते हैं।
- बहु सेवा प्रदाय के लिए ईआरपी मॉड्यूल:** ईआरपी कम्यूटरीकरण में क्रेडिट अल्पकालिक/मध्यकालिक/दीर्घकालिक, प्रापण, पीडीएस संचालन, भंडारण, मर्चेंडाइजिंग, आस्ति प्रबंधन, मानव संसाधन, और बहुत कुछ के लिए मॉड्यूल शामिल हैं।

(ख): भारत सरकार ने कृषि ऋण के अलावा प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों (पैक्स) के साथ-साथ देश भर में सहकारी क्षेत्र को सशक्त करने के लिए कई पहल की हैं। इन पहलों का उद्देश्य ग्रामीण अवसरंचना को मजबूत करना और ग्राम स्तर पर आय सृजन के अवसरों को बढ़ाना है। इन पहलों के अंतर्गत, पैक्स को कार्यकलापों की एक विस्तृत श्रृंखला शुरू करने के लिए सशक्त बनाया जा रहा है, जिसमें शामिल हैं:

1. सरकारी एजेंसियों की ओर से कृषि उपज का प्रापण
2. बीज, उर्वरक और कीटनाशकों जैसी कृषि- निविष्टियों, की आपूर्ति
3. भांडागारण और भंडारण सुविधाओं में शीत भण्डारण और गोदाम शामिल हैं।
4. PMFBY जैसी योजनाओं के अंतर्गत फसलों, पशुधन और स्वास्थ्य के लिए **बीमा सुविधा**
5. **उचित मूल्य की दुकानों (FPS)** के संचालन के साथ-साथ एलपीजी, पेट्रोल और डीजल का वितरण
6. डिजिटल और वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए **कॉमन सेवा केंद्रों (CSCs)** के रूप में कार्य करना
7. किफायती दवाइयों की आपूर्ति के लिए **जन औषधि केंद्र** स्थापित करना
8. **लघु सिंचाई**, मास्तिकी और डेयरी कार्यकलापों को सुविधाजनक बनाना
9. बैंकिंग, विपणन और ग्रामीण विकास योजनाओं से संबंधित सेवाएं प्रदान करना

यह बहु-कार्यात्मक परिवर्तन एक एकीकृत **ईआरपी-आधारित सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म** द्वारा समर्थित है और सरकार के व्यापक "सहकार से समृद्धि" (सहकारिता के माध्यम से समृद्धि) परिकल्पना का हिस्सा है।

(ग): नहीं, परंतु आवश्यकता एवं व्यवहार्यता के अनुसार इसे पीएसीएस कम्यूटरीकरण परियोजना में सम्मिलित किए जाने की संभावनाएँ हैं।

(घ): राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सहयोग से भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय द्वारा एक व्यापक राष्ट्रीय सहकारी डाटाबेस (NCD) विकसित किया गया है। NCD पोर्टल का 08 मार्च 2024 को शुभारंभ किया

गया था। यह डेटाबेस देश भर में 8.25 लाख से अधिक सहकारी समितियों की जानकारी के लिए एकल-बिंदु पहुंच प्रदान करता है।

राष्ट्रीय सहकारी डाटाबेस यूआरएल: <https://cooperatives.gov.in> पर उपलब्ध है।

इस डेटाबेस का उपयोग नीति निर्माताओं, प्रशासकों, शिक्षाविदों/शोधकर्ताओं, बैंकों/वित्तपोषण एजेंसियों, मार्केट प्लेयर्स आदि द्वारा किया जा सकता है। एनसीडी अलग-अलग सहकारी समितियों के क्षेत्र, स्थान और भौगोलिक प्रसार/क्षेत्राधिकार, सदस्यता, आर्थिक कार्यकलापों, लिंकेज आदि जैसे मापदंडों पर डेटा को कैप्चर करता है।

राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस का उपयोग कमियों की पहचान करने के लिए किया जाता है ताकि नई सहकारी समितियों को प्रोत्साहित किया जा सके। यह डेटाबेस विभिन्न सहकारी समितियों के लिए बनाई गई योजनाओं के वितरण और लक्ष्य निर्धारण में भी मदद करता है।

(ड): जी हाँ मान्यवर, सरकार ने प्राथमिक कृषि साख समितियों (PACS) को 'मल्टी-सर्विस हब' के रूप में एकीकृत करने हेतु दीर्घकालिक रणनीति तैयार करने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की है।।

- i. **सहकार से समृद्धि की परिकल्पना:** सहकारिता मंत्रालय का लक्ष्य पैक्स को 2 लाख इकाइयों में विस्तारित करना है, जिससे किसानों और ग्रामीण परिवारों के लिए एकल-खिड़की सेवा केंद्र के रूप में कार्य करने के लिए प्रत्येक पंचायत में कम से कम एक पैक्स सुनिश्चित किया जा सके।
- ii. **आदर्श उप-विधियाँ और कानूनी सुधार:** आदर्श उप-विधियों की शुरूआत पैक्स को 25 से अधिक व्यावसायिक कार्यकलापों को करने की अनुमति देती है, जिससे उन्हें व्यापक ग्रामीण आर्थिक इकाइयों में विकसित करने में सक्षम बनाया जा सकता है।
- iii. **डिजिटल और अवसरंचना समर्थन:** पैक्स कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम ईआरपी सॉफ्टवेयर, रीयल-टाइम डेटा सिस्टम की तैनाती और तकनीकी एकीकरण के लिए समर्थन सुनिश्चित करता है ताकि उनकी बहुकार्यात्मकता को सशक्त किया जा सके।

यह रणनीतिक प्रयास ग्रामीण भारत में वित्तीय समावेशन, कृषि-सेवाओं, कल्याणकारी वितरण और डिजिटल शासन के लिए पैक्स को प्रमुख साधन के रूप में स्थापित करता है।
